झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

–: अधिसूचना :–

रॉंची, दिनांक– 08/08/2024 ई०।

संख्या–14/विविध–23/2024–4784/विभागीय संकल्प संख्या–2108, दिनांक–07.05.2012 एवं 1938, दिनांक–20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन के निमित्त किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या–4920, दिनांक–10.08.2015 अधिसूचित किया गया।

3. आयोग के प्रथम सम्पुष्ट सूची में पूर्ण विवरण के अभाव में जिन आंदोलनकारियों को अधिसूचित नहीं किया जा सका था, उनमें से धनबाद जिला के 01 एवं रॉंची जिला के 01 आंदोलनकारियों के संबंध में झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक–708, दिनांक–14.06.2024 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है। आयेाग के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न तालिका के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों/आश्रितों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	आवेदक का विवरण	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	झारखण्ड आंदोलन के सेनानी पुस्तक में नाम अंकित है अथवा नहीं	आंदोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प सं०–1938 दिनांक–20.04.2021 के तहत वर्त्तमान का वर्गीकरण
1	आवेदिका–**रेखा मण्डल** पति–**स्व० मनीन्द्र नाथ मण्डल** ग्राम–**सरायढेला** पोस्ट–**सरायढेला** थाना– **सरायढेला** प्रखण्ड–**धनबाद** जिला–**धनबाद**	प्रथम संपुष्ट सूची जिला–धनबाद क्रमांक–121 धनबाद रेल प्राथ0 सं0 34/96 जी0 आर0 273/96 धनबाद रेल केस सं0 131/96	नहीं	नाजायज मजमा बनाकर रेल पथ पर बैठकर गाड़ियों का आवागमन को अवरूद्ध करना एवं रेल कर्मचारी को बंधक बनाकर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना। धारा/147/341/323	**कण्डिका–2(ix)**
2	आवेदक–**ब्रजमोहन राम** पिता–**स्व० अर्जुन राम** ग्राम–**दत्ता विला, 78 न्यू मोराबादी** पोस्ट–**रॉंची विश्वविद्यालय** थाना– **बरियातु** प्रखण्ड–**सदर** जिला–**रॉंची**	प्रथम संपुष्ट सूची जिला–गढ़वा क्रमांक–1 गढ़वा रेल 42/96	नहीं	वनांचल अलग राज्य निर्माण के लिए गढ़वा रोड रेलवे का चक्का जाम करना	**कण्डिका–2(ix)**

4. उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए विभागीय संकल्प सं०–1938, दिनांक–20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान (प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र) प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

E:\Anup Sir\JACA 2021\All Notification.doc. Date-6-Aug-24. P-204

5. चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित को अनुमान्य सम्मान दिनांक–20.04.2021 की तिथि से देय होगा।

अनु०–यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Daya 7/8/24

(दयानन्द कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–23/2024–4784/ रॉंची, दिनांक– 08/08 /2024 ई०।

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

Daya 7/8/24

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–23/2024–4784/ रॉंची, दिनांक– 08/08 /2024 ई०।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं हक०), पो०–डोरण्डा, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

Daya 7/8/24

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–23/2024–4784/ रॉंची, दिनांक– 08/08 /2024 ई०।

प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक (वरीय पुलिस अधीक्षक सहित)/कार्यालय प्रभारी, झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, हिनू, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

Daya 7/8/24

सरकार के अवर सचिव।